

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, बागेश्वर वन प्रभाग बागेश्वर

Email- dfo_bageshwar@rediffmail.com dfo_bageshwar03@gmail.com

दूरभाष/फैक्स नं० : 05963-220249 फैक्स नं० 05963-220209



पत्रांक 21880/121-2

बागेश्वर, दिनांक : 18/06/2021

सेवा में,

अधिकासी अभियन्ता,
निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०,
कपकोट।

विषय -

जनपद बागेश्वर के विधानसभा क्षेत्र कपकोट के अन्तर्गत दूणी-सुकुण्डा मोटर मार्ग का विस्तार शोभाकुण्ड तक 8.00 कि०मी० मोटर मार्ग निर्माण हेतु 4.34 है० वन भूमि का गैर वानिकी कार्य हेतु ग्राम्य विकास विभाग को प्रत्यावर्तन।

महोदय,

उपरोक्त विषयक कम में चाही गई सूचना निम्न प्रकार है।

1. भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, देहरादून का पत्रांक 08बी/यू०सी०पी०/०६/१४६/२०२०/एफ०सी०/२४८१ दिनांक 17.03.2021।

2. उक्त क्षतिपूरक वृक्षारोपण व सड़क के दोनों ओर पथ वृक्षारोपण धनराशि का ऑकलन

प्रमुख वन संरक्षक उत्तराखण्ड देहरादून के पत्रांक क -972/3-5-2 दिनांक 21.11.2017 के द्वारा निर्धारित दरों के कम में वर्ष 2020-21 के दर से वित्तीय वर्ष 2021-2022 में 10 प्रतिशत वृद्धि कर किया गया है। अतः उक्त डिमाण्ड नोट ऑन लाईन कर नोडल कार्यालय देहरादून द्वारा डिमाण्ड नोट सत्यापन के उपरान्त धनराशि नियमानुसार जमा कर इस कार्यालय को अवगत कराने का कष्ट करें।

क्र०सं०	मद	क्षेत्रफल	ई०को० क्लास	धनत्व	दर प्रति	जमा की जाने वाली धनराशि
1	एन०पी०वी०	4.34 है०	5	0.2	6,57,000.00	28,51,380.00
2	क्षतिपूरक वृक्षारोपण	8.680 है०	"-"	"-"	3,70,902.00	32,19,429.00

नोट:- वित्तीय वर्ष 2021-22 के क्षतिपूरक वृक्षारोपण योजना की धनराशि निर्धारित न होने के कारण क्षतिपूरक वृक्षारोपण योजना में 10 प्रतिशत वृद्धि करते हुए डिमाण्ड नोट तैयार किया गया है।

सं० ॥॥ / वन प्रभाग बागेश्वर

(Signature)
08/06/21

(Signature)
प्रभागीय वनाधिकारी
बागेश्वर वन प्रभाग, बागेश्वर